जनसुनवाई में पहुंचे 150 से अधिक किसान, पुराने पट्टों की बहाली व नामांतरण के मुद्दों पर हुई चर्चा

# काश्तकारों की राह आसान: नारकोटिक्स ब्यूरो ने सुनीं अफीम किसानों की समस्याएं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**चित्तौड़गढ़.** अफीम काश्तकारों की खेती, लाइसेंस प्रक्रिया और खेत पैमाइश से जुड़ी समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से गुरुवार को विशेष पहल की गई। शहर के किरखेड़ा चौराहा के निकट एक निजी होटल के सभागार में वृहद जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चली। जनसुनवाई में निम्बाहेड़ा, कपासन और भदेसर सहित जिले की विभिन्न तहसीलों से आए 150 से अधिक अफीम किसानों ने अपनी-अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने शिकायतों को सुनकर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

चित्तौड़गढ़. जनसुनवाई में मौजूद अफीम काश्तकार।

**किसानों की सहूलियत के लिए परिसर में सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की गई**

सभागार के बाहर तीनों खंडों (प्रथम, द्वितीय व तृतीय) के अलग-अलग तीन काउंटर बनाए गए। सबसे पहले किसानों का नाम, पता व शिकायत रजिस्टर में दर्ज की गई। इसके बाद सभागार के भीतर कंप्यूटर सिस्टम पर उनके रिकॉर्ड का मिलान हुआ। तीसरे चरण में काश्तकारों को मंच पर बुलाकर वरिष्ठ अधिकारियों ने एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में उप नारकोटिक्स आयुक्त (कोटा) नरेश बुंदेल, सहायक नारकोटिक्स आयुक्त जे.एस. राजपुरोहित, चित्तौड़गढ़ जिला अफीम अधिकारी (खंड प्रथम) बी.एल. मीना, (खंड द्वितीय) आर.के. मीना सहित अन्य अधिकारी डी.के. सिंह तथा (खंड तृतीय) कर्मचारी उपस्थित थे।

अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखते अफीम काश्तकार।

जनसुनवाई में मुख्य रूप से पुराने कटे हुए पट्टों की बहाली, पारिवारिक नामांतरण और आपसी सहमति न बनने से अटके मामलों से जुड़ी समस्याएं आईं। कई मामलों में किसानों को संतुष्ट कर निस्तारण का आश्वासन दिया गया है, जबकि जटिल मामलों को आगामी 15 से 20 दिनों में हल कर लिया जाएगा।

**नरेश बुंदेल,** उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा

दैनिक भास्कर

चित्तौड़गढ़ जिला 14-08-2026

जनसुनवाई • पहली बार अफीम उत्पादक किसानों की जनसुनवाई की, 200 से अधिक किसान पहुंचे

# अफीम खेती के कटे पट्टे बहाल करने, दो खंडों में बुवाई की अनुमति देने, नामांतरण की समस्या छाई

भास्कर न्यूज | चित्तौड़गढ़

अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं और लंबित मामलों के निपटारे के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुरुवार को अनंत रिसॉर्ट में पहली बार जनसुनवाई आयोजित की। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला। इसमें निम्बाहेड़ा, भदेसर और कपासन तहसील क्षेत्रों के 200 से अधिक किसान पहुंचे।

किसानों ने अफीम पट्टों से जुड़ी पात्रता, पुराने कटे पट्टों की बहाली, औसत पैदावार, नामांतरण, नाम में शुद्धि और किसानों के बीच सहमति नहीं बनने से अटकी प्रक्रियाओं जैसी समस्याएं रखीं। कई किसानों ने यह भी पूछा कि कम औसत पैदावार की स्थिति में आगे उनकी पात्रता बनेगी या नहीं।

जनसुनवाई में उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने किसानों की शिकायतें सुनीं। उनके साथ सहायक नारकोटिक्स आयुक्त जे.एस. राजपुरोहित और अधीक्षक जगदीश मावल मौजूद रहे। जिला अफीम अधिकारी बीएन मीणा और डीके सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बुंदेल ने कहा कि अधिकांश शिकायतें सामान्य प्रकृति की हैं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। जिन मामलों में दोबारा निरीक्षण, परीक्षण या सत्यापन की जरूरत है, उनके लिए किसानों के नाम और समस्याएं दर्ज की गईं। ऐसे मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा तय की गई है। विभाग ने लक्ष्य 15 से 20 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का बताया। अधिकारियों ने किसानों से संबंधित दस्तावेज साथ लाने को कहा, ताकि जांच और कार्रवाई में देरी न हो।

## एक पट्टे पर दो खंडों में बुवाई की अनुमति की मांग

बड़ौली माधोसिंह के ठाकरसिंह ने एक ही पट्टे पर दो खंडों में बुवाई की अनुमति देने, की मांग रखी। उन्होंने औसत पैदावार कम रहने के आधार पर जिन किसानों के लाइसेंस या पट्टे काटे गए हैं, उनकी समीक्षा कराने की मांग रखी। बहाली की मांग भी की। कपासन तहसील के काछीखेड़ा के किसान मुखिया रतनलाल ने बताया कि उनके गांव में अब तक किसी का नामांतरण नहीं हुआ। किसानों ने नामांतरण मामलों के समाधान की मांग रखी।